

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : **UPFS/2022/60636/FTP/FATEHPUR/395/CFO**
दिनांक : **07-09-2022**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **FATIMA PUBLIC SCHOOL** पता **86, SIDDIQUE NAGAR, NEAR AARA MACHINE, HATHGAON, FATEHPUR** तहसील - **KHAGA** प्लाट एरिया **6840.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2883.38** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
FATIMA PUBLIC SCHOOL	3	0	10.77 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **FATIMA PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **09-09-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RIZWAN HAKIM QASMI, Mob- 9451767227** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **09-09-2022** से **08-09-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **FATIMA PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **FATIMA PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : उ0प्र0 शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग- 8 के शासनादेश संख्या-187/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 दिनांक- 07-01-2022 में प्राविधानित अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गमन के निर्देशों एवं उपबन्धों के बिन्दु संख्या- 4 के प्रस्तर- (B): एन0बी0सी0 2016 में दी गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में संशोधन के अंतर्गत उपखण्ड- VI. सेटबैक- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सुझाव के अनुसार सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बंध में निर्णय संबन्धित सत्ता प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (बिल्डिंग बायलाज) के अनुसार लिया जायेगा है।

निर्गत किये जाने का दिनांक : **09-09-2022**
स्थान : **FATEHPUR**

Rizwan Digitally signed
Hakim by Rizwan
Qasmi Hakim Qasmi
Date:
2023.02.02
22:59:52 +05'30'


हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

UMESH GAUTAM

D702E3F4D63F4A4DAB2CB8C96FFB8A701EB41E42

09-09-2022

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.